भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3516

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सौर पीवी मॉड्यूल हेतु पीएलआई योजना

3516. सुश्री सयानी घोषः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थापना के बाद से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ख) क्या सरकार के पास उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पीएलआई योजना की शुरुआत से अब तक अनुमानित लक्ष्यों से संबंधित कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) सौर पीवी मॉड्यूल की पीएलआई योजना के तहत अनुमानित लक्ष्य की तुलना में सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुमानित लक्ष्य की तुलना में पीएलआई योजना की शुरुआत से अब तक कितना आयात प्रतिस्थापित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उत्पादों के कवरेज का विस्तार करने और सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय के साथ, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है।

उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। इसलिए, अभी तक कोई धनराशि संवितरित नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) : उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाले सौर विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 अक्टूबर 2024 तक इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिससे लगभग 10,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 22,500 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है।

दिनांक 12.12.2024 की स्थिति के अनुसार, भारत में मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) में सूचीबद्ध सौर पीवी मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता लगभग 63 गीगावाट है, जिसमें इस सकीम के तहत सौर मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्रों की लगभग 15.5 गीगावाट क्षमता शामिल है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई स्कीम के दिशानिर्देशों में, न

तो उत्पादों के कवरेज का विस्तार करने के संबंध में और न ही सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई स्कीम की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में कोई संशोधन जारी किया है।

*****